न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, (पीलीभीत)

दाण्डिक वाद संख्या 607/2016

राज्य प्रति हरीश चन्द्र ।।

मु0 अप0 सं0 256/2016

धारा 60(2) आबकारी अधिनियम।

थाना–बीसलपुर,जिला–पीलीभीत।

आरोप

मैं, अनुपम सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, जिला पीलीभीत आप अभियुक्त **हरीश चन्द्र** को निम्न प्रकार से आरोपित करती हूँ :–

प्रथम– यह कि दिनांक 22.02.2016 को समय 14.20 बजे वाहद स्थान व ग्राम भोगापुर, अन्तर्गत थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत में पुलिस द्वारा आपको संदिग्धावस्था में चेक किए जाने एवं गिरफ्तार किये जाने पर आप अवैध शराब की कसीदगी करते हुए पाये गये एवं आपके कब्जे से 19 लीटर अवैध शराब खाम व अवैध शराब कसीदगी के उपकरण नाजायज रूप से बरामद हुए। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो कि धारा–60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः मैं एतद्द्वारा निर्देश देती हूँ कि उपरोक्त आरोप पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

दिनांकः04.01.2020

(अनुपम सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर, पीलीभीत।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया एवं विचारण की मॉग की।

दिनांकः04.01.2020

(अनुपम सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर, पीलीभीत।